न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 87/2018/अपील/एल.आर.एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांकः 27.9.2018
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. प्रेमशंकर उर्फ कालू आत्मज धनराज (गलत नाम नाथूलाल) जाति माली निवासी ग्राम बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा।

...अपीलाट

बनाम

1. नंदलाल आत्मज रामनाथ
2. रामलाल आत्मज रामनाथ
3. मोहनलाल आत्मज रामनाथ
   जातियान माली निवासी लाखेरी जिला बूंदी।
4. नायब तहसीलदार उप तहसील लाखेरी
5. तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बूंदी (राज0)

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा अभिभाषक अपीलार्थी
श्री पंकज दाधीच अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय

दिनांक 23.1.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 156/अपील/14 बउनवान नंदलाल बनाम महावीर वगेरा अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियिम मे पारित निर्णय दिनांक 11.7.2016 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रस्तुत अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार लाखेरी द्वारा पारित नामा0 सं0 884 दिनांक 12.8.14 वाके ग्राम लाखेरी से अप्रसन्न होकर नन्दलाल आ0 रामनाथ माली नि0 गणेशपुरा द्वारा द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी मे अपील पेश कर निवेदन किया कि ख0 सं0 1977 रकबा 1.06 है0, ख0 सं0 1982 रकबा 0.08 है0, 1983 रकबा 0.06 है0, 1985 रकबा 0.01 है0 किता 4 रकबा 1.21 है0 महावीर प्रसाद, गिरिराज प्रसाद पि0 सूरजमल मीणा हिस्सा 1/2 एंव नन्दलाल आ0 रामनाथ माली हिस्सा 1/2 की खातेदारी की भूमि के संबध मे न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश कम सं0 1 बूंदी के निर्णय की पालना मे महावीरप्रसाद, गिरिराजप्रसाद पि0 सूरजमल मीणा एवं प्रेमशंकर उर्फ कालू आ0 रामनाथ माली के पक्ष मे नामान्तरकरण सं0 884 दिनांक 12.8.14 तस्दीक करने से पूर्व परीक्षण न्यायालय द्वारा पूर्व मे उसके पक्ष मे तस्दीक किये गये नामा0 सं0 860 दिनांक 25.4.14 को निरस्त कर खातेदार नन्दलाल आ0 रामनाथ का नाम विलोपित किये जाने का इन्द्राज किये बिना ही उक्त नामान्तरकरण को यथावत रखते हुये राजस्थान लेण्ड

रिकार्डस रूल्स 1957 के आज्ञापक प्रावधानों का विधिवत रूप से पालन न कर नामा0 सं0 884 महावीर प्रसाद, गिरिराज व प्रेमशंकर उर्फ कालू के पक्ष मे तस्दीक करने मे कानूनी गलती की है। नामा0 सं0 860 धारा 135(1) एलआरएक्ट के तहत पारित किये गये आदेश की पालना मे तस्दीक किया गया जिसकी अपील सक्षम न्यायालय मे नही की जाकर अन्तिम आदेश को निरस्त करवाये बिना राजस्व रिकार्ड को नजरअन्दाज कर परीक्षण न्यायालय ने नामा0 सं0 884 तस्दीक करने मे त्रुटि की है अतः नामा0 सं0 884 निरस्त किया जावे। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने नन्दलाल द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर नामा0 सं0 884 दिनांक 12.8.14 को निरस्त कर प्रकरण परीक्षण न्यायालय को रिमांड किया कि वे मामले मे निर्णय दिनांक 22.11.13 की पालना हेतु माननीय अपर जिला न्यायाधीश क्रम सं0 1 बूंदी के न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश कर ख0 सं0 1977, 1982, 1983, 1985 वाकै ग्राम लाखेरी के संबध मे अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 860 दिनांक 25.4.2014 आंशिक रूप से निरस्त किये जाने बावत मार्गदर्शन प्राप्त कर समस्त दस्तावेजात रेकार्ड पर लेते हुये संबधित सभी पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर नियमों के परिपेक्ष्य मे विधिसम्मत कार्यवाही की जाकर नये सिरे से आदेश पारित करे। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट प्रेमशंकर उर्फ कालू द्वारा यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवं न्याय संचिका के प्राप्त तथ्यो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलांट ने अपने अपील मेमो मे उल्लेखित तथ्यो को विधिवत एवं कानूनी रूप से प्रमाणित कर दिया है कि अपीलांट गोपालीबाई की खातेदारी की भूमि ख0 नं0 1986 रकबा 0.07 ख0 नं0 1987 रकबा 0.11 है0, ख0 नं0 1988 रकबा 0.03 है0, ख0 नं0 1989 रकबा 0.08, ख0 नं0 1990 रकबा 0.36 है0 कुल किता 5 रकबा 0.65 है0 नन्दलाल, रामलाल मोहनलाल व रतनलाल पिस0 रामनाथ माली नि0 लाखेरी हिस्सा 1/2 एवं गोपाली पुत्री ओकार माली नि0 लाखेरी हि0 1/2 भी ग्राम लाखेरी मे स्थित है तथा जोत सं0 391 की भूमि ख0 नं0 1977 रकबा 1.06 है0, ख0 नं0 1982 रकबा 0.08 है0, ख0 नं0 1983 रकबा 0.06 है0, ख0 नं0 1985 रकबा 0.08 है कुल किता 4 रकबा 1.21 है0 के खातेदार महावीर प्रसाद, गिरिराज प्रसाद पि0 सूरजमल मीणा नि0 लाखेरी हिस्सा 1/2 व गोपाली पुत्र ओंकार जाति माली नि0 लाखेरी हिस्सा 1/2 होना स्वीकार किया गया है गोपाली बेवा रामनाथ माली नि0 बोरदा तह0 पीपल्दा द्वारा पंजीकृत गोदनामा दिनांक 2.6.97 को उनके सहगोत्री प्रेमशंकर पुत्र धनराज माली निवासी बोरदा के पक्ष मे विधिवत पंजीकृत करवाया गया उक्त दस्तावेज को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र पंजीकृत गोदनामे दिनांक 2.6.97 के आधार पर खातेदारी के आधार पर खातेदारी गोपाली की कृषि भूमि का इन्तकाल अपने नाम खुलवाने के लिये कई वर्षो तक राजस्व अधिकारियो को आवेदन क्यों नही किया, उक्त कथन के आधार पर अपर जिला न्यायाधीश क्रम–1 बूंदी के निर्णय को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई मान्यता नही दी और यह टिप्पणी दी गई कि रेस्पो0 क्रम–1 के पक्ष मे अपंजीकृत वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है, उसको सही रूप से मान्यता देने मे कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत वाद जो न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम–1 बूंदी मे विचाराधीन था जिसकी पुष्टि इन्तकाल सं0 884 दिनांक 12.8.14 के निर्णय को मान्यता देते हुये निर्णय पारित किया गया और उक्त इन्तकाल विधिमान्य व सेशन न्यायालय द्वारा निर्णित तथ्यो के आधार पर तस्दीक किया गया था जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिमाण्ड करने का कोई औचित्य नही होने के बावजूद भी उक्त इन्तकाल को मार्गदर्शन हेतु दिनांक 22.11.2013 का निर्णय जो न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम–1 बूंदी द्वारा जिसकी इजराय की पालना हो चुकी है ऐसी स्थिति मे उक्त निर्णय के बावत मार्गदर्शन प्राप्त करने का कोई औचित्य नही होने के बावजूद भी उक्त प्रकरण को रिमाण्ड करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय इन्तकाल नं0 860 दिनांक 25.4.14 को निरस्त करते हुये माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम–1 बूंदी द्वारा पारित निर्णय के आधार पर इन्तकाल नं0 884 दिनांक 12.8.14 वाके ग्राम लाखेरी को अपीलांट के पक्ष मे पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अपीलांट का नाम यथावत रखा जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील के तथ्यो को दोहराते हुये बहस मे प्रकट किया कि नामा0 सं0 860 वसीयत के आधार पर ना0 तहसीलदार इन्द्रगढ द्वारा तस्दीक किया गया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जाकर माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश कम–1 बूंदी द्वारा पारित निर्णय के आधार पर गोदपुत्र होने से मेरे नाम इन्तकाल तस्दीक करना था। ऐसी स्थिति मे प्रथम अपीलीय न्यायालय का जेरअपील रिमांड आदेश गलत है क्योंकि नामा0 मेरे नाम खोलने का आदेश होना था। रेस्पो0 को किसी प्रकार की आपत्ति थी तो अपर जिला न्यायाधीश के निर्णय की सिविल कोर्ट मे अपील कर चाराजोही करना था उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे इन्तकाल सं0 884 दिनांक 12.8.2014 वाके ग्राम लाखेरी को अपीलांट के पक्ष मे स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अपीलांट का नाम यथावत रखा जावे।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे प्रकट किया कि वसीयत के आधार पर दिनांक 25.4.14 को विवादित आराजी का म्यूटेशन मेरे नाम से तस्दीक किया गया। मेरे नाम तस्दीक नामा0 को बिना केन्सिल किये दावे की इजराय मे (बटवारे का दावा) तथ्य छुपाकर लेकर आये है ऐसी स्थिति मे मेरे खिलाफ लागू नही हो सकता। विवादित आराजी का नामा0 सं0 884 दिनांक 12.8.2014 को अपीलांट के नाम खोला गया जिसमे रेस्पो0 को नही सुना गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने जेरअपील निर्णय पारित कर सही रिमांड किया है। सिविल कोर्ट मे पालना के लिये जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख तथा जेरअपील निर्णय दिनांक 11.7.2016 के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे समुचित तथ्यो का विवेचन एवं विश्लेषण कर नामान्तरकरण सं0 884 दिनांक 12.8.2014 संबधित सहखातेदारों की सुनवाई किये बिना एवं संदर्भित आराजी के पूर्व मे दर्ज नामान्तरकरण को निरस्त/विलोपित किये बिना नया नामान्तरकरण तस्दीक दिये जाने से नामान्तरकरण सं0 884 दोषपूर्ण प्रतीत होने पर प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी ने जेरअपील निर्णय दिनांक 11.7.2016 से निरस्त कर प्रकरण परीक्षण न्यायालय को मामले मे निर्णय दिनांक 22.11.13 की पालना हेतु माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्र.सं. 1 बूंदी के न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश कर ख0सं0 1977, 1982, 1983, 1985 वाके ग्राम लाखेरी के संबध मे नामा0 सं0 860 दिनांक 25.4.2014 को आंशिक रूप से निरस्त किये जाने बावत मार्गदर्शन प्राप्त कर समस्त दस्तावेजात रेकार्ड पर लेते हुये संबधित सभी पक्षकारो को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर नियमो के परिपेक्ष्य मे विधिसम्मत कार्यवाही की जाकर नियमानुसार नये सिरे से आदेश पारित करने की कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय का विवेचित उक्त अभिमत न्यायोचित व विधिसम्मत होना प्रकट होने से जेरअपील निर्णय दिंनाक 11.7.2016 मे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजाइंश प्रतीत नही होती है। परिणामस्वरूप उक्त तथ्यो के आलोक मे अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

6 निर्णय आज दिनांक 23.1.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा